कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश सं0 286/2020

श्री प्रमोद कुमार पाल, सिविल जज (अ0ख0)/एफ0टी0सी, सुलतानपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए यह कथन किया गया है कि उनके न्यायालय में अहलमद के पद पर कार्यरत श्री सिद्धार्थ पाठक द्वारा आज समय लगभग 01.00 बजे सूचना दी गयी कि उन्होने अपना कोविड–19 टेस्ट पूर्व में करवाया था जिसके सम्बन्ध में आज सी0एम0ओ0 आफिस द्वारा टेलीफोन से सूचना दी गयी की आपकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आयी है। उनके द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि श्री सिद्धार्थ पाठक आज न्यायालय उपस्थित होकर कार्य कर रहे थे। नोडल कोविड–19, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय सुलतानपुर की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है जिसमें श्री सिद्धार्थ पाठक को कोविड–19 पॉज़िटिव बताया गया है।

उपरोक्त पत्र पर कोविड–19 प्रिवेन्शन समिति जनपद न्यायालय सुलतानपुर व प्रशासनिक समिति से आख्या तलब की गयी जिस पर उन्होने श्री सिद्धार्थ पाठक, वरिष्ठ लिपिक, न्यायालय सिविल जज (अ0ख0)/एफ0टी0सी, सुलतानपुर को कोरोना पॉज़िटिव होना बताया है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि श्री सिद्धार्थ पाठक कल भी कार्य सरकार हेतु उपस्थित थे और आज भी न्यायालय आये थे।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, Dated : 03.06.2020 के बिन्दु सं0 15 में निर्देशित किया गया है कि "Whenever the District Administration/C.M.O. concerned is of the opinion that the District/Outlying Court campus should be closed for a particular period and/or the District Judge is of the opinion that the District Court/Outlying Court should be closed for particular period, then the District Court/Outlying Court may be closed for the said period and an intimation mentioning the specific reasons may be sent to Allahabad High Court."

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह गोपन अनुभाग–3 लखनऊ के पत्र सं0 1431/2020/सीएक्स–3 दिनांक 06.06.2020 मे दिये गये दिशा निर्देश के भाग–ख जो कार्यालय से सम्बन्धित दिशा निर्देश हैं, के बिन्दु सं0 05 के अनुसार कोविड 19 का केस पाये जाने पर कार्यालय को सैनिटाइज़ेशन हेतु 48 घण्टे तक बन्द किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

समिति की राय में कोविड महामारी से बचाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त सर्कुलर व शासनादेश के अनुपालन में दीवानी न्यायालय परिसर को 48 घण्टे (दिनांक 18–09–2020 व 19–09–2020) के लिये बन्द कर साफ–सफाई व सैनिटाइज़ेशन कराया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, Dated : 03.06.2020 व उपरोक्त शासनादेश के परिपेक्ष्य में जिला न्यायालय परिसर सुलतानपुर को 48 घण्टे बन्द करके साफ–सफाई व सम्पूर्ण सैनिटाइज़ेशन कराया जाना अवश्यक है।

अतः न्यायालय परिसर 48 घण्टे (दिनांक 18-09-2020 व 19-09-2020) के लिये साफ-सफाई व सैनिटाइज़ेशन हेतु बन्द की जाती है। उपरोक्त अवधि में न्यायालय परिसर को सैनिटाइज़ करा कर कोविड समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 17.09.2020 से 5 दिन पूर्व से जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाये गये कर्मचारी के सम्पर्क में आये हों वह स्वयं का कोविड-19 टेस्ट कराकर पॉजिटिव पाये जाने की स्थिति में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार तथा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें जिससे उनके नाम, पता व मोबाइल नम्बर से मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया जा सके।

जिलाधिकारी सुलतानपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी सुलतानपुर व अधिशाषी अधिकारी सुलतानपुर सम्पूर्ण न्यायालय परिसर (न्यायालय भवन व अधिवक्ता चैम्बर आदि) का सम्पूर्ण सैनिटाइज़ेशन राज्य एवं केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

नोडल अधिकारी कम्प्यूटर व सिस्टम आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad; Dated : 28.07.2020 के अनुपालन में वीडियो कान्फ्रेन्सिग के द्वारा सुनवाई से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु कार्यवाही अमल में लाते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

रिमाण्ड कार्य अवकाश के दिनों की भॉति सम्पन्न होंगे, जिसके सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

सूचना माननीय उच्च न्यायालय व माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति को प्रेषित की जाये तथा सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

17.9.20

जिला न्यायाधीश
सुलतानपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुलतानपुर।
2. जिलाधिकारी सुलतानपुर।
3. जिलाधिकारी अमेठी।
4. पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, अमेठी
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, सुलतानपुर।
7. अधीक्षक जिला कारागार, सुलतानपुर।
8. बार एसोसिएशन, सुलतानपुर।
9. बार एसोसिएशन, कादीपुर।
10. बार एसोसिएशन, मुसाफिरखाना।
11. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
12. सिस्टम आफिसर को जिला न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

17.9.20

जिला न्यायाधीश
सुलतानपुर।